

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ परिक्षेत्र।

पत्रांक: म-263 डीडी/फा0स0/मेरठ-13(जीएन)/12
सेवा में

दिनांक: जनवरी 23 2016।

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण,

गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स साया बिल्डकॉन कन्सॉलियम प्रा0 लि0 द्वारा जी0सी0-6/2, गौड सिटी, प्लॉट न0-जी0एच0-01, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु पुनःरीक्षित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

यूआईडी:

2016/17460/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/4202/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र उपलब्ध कराते हुए संशोधित अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03 ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक: 14-01-2016 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर उनके द्वारा अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक फा0स0 द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधीहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

भवन की संरचना:- कुल प्लॉट एरिया-20,947.076 वर्ग मी0 तथा प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र संख्या: म-263/डीडी/फा0स0/मेरठ-13(जीएन)/1125 दिनांक: 10-11-2013 के द्वारा प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है तथा प्लॉट में एरिया एवं तलों का संशोधित एरिया व ऊँचाई विवरण निम्नवत है-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई मी0 में
1	टावर-ए	स्टिल्ट+21	405.576	358.173	71.50
2	टावर-बी	स्टिल्ट+22	405.229	355.012	74.65
3	टावर-सी	स्टिल्ट+22	405.229	355.012	74.65
4	टावर-डी	स्टिल्ट+22	405.038	354.747	74.65
5	टावर-ई	स्टिल्ट+20	531.628	484.483	68.35
6	टावर-एफ	स्टिल्ट+20	397.076	346.937	68.35
7	टावर-जी	स्टिल्ट+22	393.530	342.822	74.65
8	टावर-एच	स्टिल्ट+22	534.896	482.090	74.65
9	टावर-आई	स्टिल्ट+20	533.344	480.243	68.35

कामर्शियल- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में कामर्शियल भूतल कवर्ड एरिया-371.392 वर्ग मी0 एवं प्रथम तल कवर्ड एरिया-380.408 वर्ग मी0।

बेसमेन्ट- प्रश्नगत भवन में डबल बेसमेन्ट प्रस्तावित है जिसमें लोवर बेसमेन्ट-14,747.738 वर्ग मी0 एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-14523.228.00 वर्ग मी0 प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग विवरण:-प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्था:-

1- पहुच मार्ग-मूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबैक- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।


बी0-पूछ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमत्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

For Saaya Buildcon Consortium Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

(एय0 एस0 मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ

- 3-निकास मार्ग- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित हैं प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.5 मी० प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।
- 4- रिफ्यूज एरिया- भवन में रिफ्यूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन०बी०सी० मानक के अनुसार है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- एन०बी०सी० 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वॉच्छनीय है।
 - 1-भूमिगत-प्रसंगत भवन में 2,00,000 दो लाख सीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 2-पम्पस-भूमिगत टैंक के पास 2850 एल०पी०एम० क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।
 - 3-टेरिस टैंक-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली०, स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 4-होजरील- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक ब्लॉक में प्रत्येक तल पर होजरील एन०बी०सी० मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 5-डाउनकामर- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक टावर में प्रत्येक तल पर होजरील लैफिंडिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 6-वेटराइजर- प्रस्तावित भवन में वेटराइजर एन०बी०सी० एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस०-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 7-वार्ड हाईड्रेण्टस- प्रस्तावित भवन में रिंग लाईन एवं उस पर वार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 8-आटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम एन०बी०सी० एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 9-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम- प्रसंगत भवन में सम्पूर्ण तलो पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 10-मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 12-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन- प्रसंगत भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 13-एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 14-पी०ए० सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में पी०ए० सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
 - 15-प्रशिक्षित स्टॉक- प्रसंगत भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दस कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर ऑफिसर एन०बी०सी०-2005 के प्रस्तर सी०-8 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
 - 16-वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था- प्रसंगत भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स साया बिल्डकोन कन्सल्टिंग प्रा० लि० द्वारा जी०सी०-6/2, गौड सिटी, प्लाट न०-जी०एच०-01, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आपेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानको के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।


 (एच०एस० मलिक) 2023/1
 उपनिर्देशक, अग्नि प्रसिक्षण
 उपनिर्देशक, फायर सर्विस
 नरेंद्र पार्क, गौड सिटी


प्रतिलिपि:1-संयुक्त निदेशक फायर सर्विस ज०प्र० लखनऊ को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2-ग्रुप अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-3 ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स साया बिल्डकोन कन्सल्टिंग प्रा० लि० द्वारा जी०सी०-6/2, गौड सिटी, प्लाट न०-जी०एच०-01, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

For Saaya Buildcon Consortium Pvt. Ltd.


 Authorised Signatory



SAYA ZION
Greater Noida, Uttar Pradesh

HAS FULFILLED THE REQUIREMENTS OF
PRE-CERTIFICATION

UNDER LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN (LEED®) FOR CORE & SHELL DEVELOPMENT LEVEL:
LEED for India 2011
GOLD

DOCUMENTATION HAS BEEN SUBMITTED FOR THIS PROJECT, WHICH DEMONSTRATES
AN INTENT TO DESIGN AND BUILD A HIGH-PERFORMANCE LEED GREEN BUILDING.

FEBRUARY 2016

RICHARD KIEDRZYCKI, PRESIDENT & CEO
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL

For **Saya Builders Consortium Pvt. Ltd.**

Authorized Signatory

MANISH PRASAD, PRESIDENT
GREEN BUILDING CERTIFICATION INSTITUTE



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी सी 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर लखनऊ

F93165

संदर्भ संख्या..... सी-1/एन0ओ0सी0-1192/2016/9

पंजीकृत
दिनांक 30-12-16

सेवा में,

मै0 साया बिल्डकॉन कॉन्सर्टोर्टियम प्रा0लि0,
जी0एच0-2, अहिन्सा खण्ड,
अपोजिट शिप्रा सनसिटी, इन्दिरापुरम
गाजियाबाद-201010

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से ग्रुप हाउसिंग परियोजना की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र, का संदर्भ ले। आपको आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापनार्थ सहमति (एन0ओ0सी0) स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिये ही निर्गत किया जा रहा है:-

(क) स्थल:- मै0 साया बिल्डकॉन कॉन्सर्टोर्टियम प्रा0लि0, द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजना "साया जियोन", प्लॉट सं0-जी0सी0-06/II, ऑफ जी0एच0-01, गौर सिटी, सेक्टर-04, ग्रेटर नोएडा, गीतमबुद्ध नगर।

(ख) उत्पादन:- प्रस्तावित 20947.076 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल पर बिल्टअप एरिया 126160.313 वर्गमीटर का निर्माण कार्य।

ग) मुख्य कच्चे माल:- बिल्डिंग मेटेरियल।

(घ) घरेलू उत्प्रवाह की मात्रा:- 289 कि0ली0/दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन:- 1010 के0वी0ए0 के 03, डी0जी0 सेट हेतु डीजल।


उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।


2. परियोजना/उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. परियोजना/उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन/संचालन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई में उत्पादन/संचालन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन/संचालन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुये इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाये। यदि परियोजना/उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत परियोजना/उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. परियोजना/उद्योग में परीक्षण उत्पादन/संचालन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाये।

For Saya Buildcon Consortium Pvt. Ltd.



Authorized Signatory



5. संस्था द्वारा प्रस्तावानुसार 289 किली०/दिन जनित घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु 300 किली०/दिन क्षमता का एम०बी०बी०आर० तकनीक पर आधारित एस०टी०पी० स्थापित किया जाये। एस०टी०पी० से शोधित सीवेज उत्प्रवाह की गुणता सी०पी०सी०बी० द्वारा निर्धारित अद्यतन मानको के अनुरूप किया जाये। शुद्धिकृत सीवेज को फलशिंग, कूलिंग, हरित पट्टिका की सिंचाई तथा अन्य प्रयोजनों में अधिकाधिक रिसाइकिल किया जायेगा। यदि अवशेष सीवेज को अँथारिटी के सीवर लाइन में निस्तारित किया जाता है तो अँथारिटी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
6. परियोजना का निर्माण कार्य पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करने के उपरान्त प्रारंभ किया जायेगा।
7. परियोजना निर्माण के दौरान डस्ट नियंत्रण हेतु वाटर स्पिंकलर की व्यवस्था की जाये एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/कार्यालय द्वारा जारी गाइड लाइन मेमोरण्डम 2010 का पालन किया जाना अनिवार्य है।
8. निर्माण गतिविधियों में लगे अस्थायी श्रमिकों के भोजन निर्माण हेतु एल०पी०जी० की व्यवस्था की जाये तथा उनके सीवेज के निस्तारण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट की व्यवस्था की जाये।
9. संस्था द्वारा सीवेज शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित किया जायेगा तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित किया जाये।
10. सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एम०एस०डब्ल्यू० रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाये।
11. नगरीय टोस अपशिष्ट को एकत्रित करके संग्रीगट किया जायेगा जिससे प्राप्त बायोडिग्रेडेबिल वेस्ट को आर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर के माध्यम से बायो कम्पोस्ट तैयार किया जाये।
12. प्रस्तावित परियोजना में 1010 क्वीए क्षमता का 03 डी०जी० सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एकास्टिक इनक्लोजर एवं बोर्ड मानको के अनुरूप घिमनी स्थापित किया जाये।
13. परियोजना स्थल पर अँथारिटी के नियमानुसार हरित पट्टिका विकसित की जाये।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।
15. परियोजना द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
16. परियोजना का निर्माण अँथारिटी द्वारा स्वीकृत नक्शा दिनांक 22/03/2016 के अनुसार ही किया जाये।
17. भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी भूमि पाये जाने की स्थिति में परियोजना स्वयं उत्तरदायी होगी तथा यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दी जाये।
18. परियोजना द्वारा प्रस्तावानुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित किया जाये।
19. परियोजना स्थल पर नोयडा अँथारिटी के नियमानुसार हरित पट्टिका विकसित की जाये।
20. भूमिगत जल के दोहन हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
21. Unit will put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building for effective and efficient control of dust emission generated during construction of the project.
22. Storage of any construction material particularly sand will not be done on any part of street and roads in the projects area. The construction material of any kind stored on site will be fully covered in all respect so that it does not disperse in the air in any form.
23. All the construction material & debris will be carried in trucks or vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or construction material does not get dispersed in to the air or atmosphere in any form whatsoever.



For Saya Busicon Consortium Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

श्री साया बिल्डकॉन कॉन्स्ट्रक्शियम प्रा० लि०, द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजना "साया जियोन", प्लॉट सं०-जी०सी०-०६/ए.बी० जी०एच०-०१, गौर सिटी, सेक्टर-०४, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।

24. The dust emission from the construction sites will be completely controlled and all precautions will be taken in that behalf.
25. The vehicles carrying construction debris or construction material of any kind will be cleaned before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
26. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction debris or construction material shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particle.
27. All medical help, investigation and treatment will be provided to the workers involved in the construction of building and carrying of construction of building and carrying of construction debris or construction material related to dust emission.
28. The transportation of construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place will be carried out in accordance with rules.
29. Fixing of sprinklers and creation of green air barriers will be done to control fugitive dust emission and improve environment.
30. Compulsory use of wet jet in grinding and stone cutting will be practiced.
31. Wind breaking walls will be constructed around the construction site.
32. Green belt will be developed around the buildings as per Rules.
33. All approach roads & incampus roads should be sprinkled with water to suppress the dust emission.
34. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों एवं बोर्ड में जमा बैंक गारण्टी सं० 003GT02163580011 दिनांक 23.12.2016 सं० 10.0 लाख मात्र में वर्णित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पास में अवमुक्त की जा सकती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारियों की होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाये अथवा निरस्त कर दिया जाये। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग/परियोजना द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 28.02.2017 तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाये। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाये अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जायेगी।


भवदीय

(एस०सी०यादव)
सदस्य सचिव

पृष्ठांक सं० . एन०ओ०सी० तद दिनांक

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी(प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा।

For Saya Buildcon Constructions Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/2HR/NA/ATM/NOC/2016/66/420-23
Vikas Bhasin

Date: 21-04-2016

GH-11, AHINSA KHAND- II
INDIRAPURAM Ghaziabad Uttar
Pradesh 201010

Valid Upto: 21-04-2021

No Objection Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations.

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	SAFD/NORTH/B/040816/126123
Applicant Name :	Vikas Bhasin
Site Address :	Saya Zion. Plot. No- GC- 6/II, Gaur city Plot. no- GH-01, Sec- 04, Greater Noida
Site Coordinates :	77 25 23.0-28 36 34.0, 77 25 25.0-28 36 36.0, 77 25 26.0-28 36 31.0, 77 25 28.0-28 36 33.0,
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant:	204 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	290M

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one, provided by the applicant, this NOC will become invalid and action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994 may be initiated by the concerned Airport Operator


b. The Structure height shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation - Site Elevation.

c. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

d. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 290M, as indicated in para 2.

e. The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

For Saya Building Consortium Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

Page 1/2




भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2016/66/420-23

Copy to:

1. The Executive Director (ATM), AAI, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003
2. The Chief Executive Officer, DIAL, New Uddan Bhawan, International T-3, Opp. ATS Complex, IGI Airport, New Delhi-110037
3. The Chief Architect Planner, New Okhla Industrial Development Authority Noida
4. Guard File

For Sayo Baidcon Consortium Pvt. Ltd.


Authorized Signatory



Recycled & Crafted by
AAI Paper Recycling Unit
ISO 14001 : 2004 CERTIFIED UNIT

RE THINK → REDUCE → RE USE →


प्रधान कार्यालय पर कृपया लौटा दें : If undelivered please return to :
कार्यपालक निदेशक (उ.शे.) Executive Director (N.R.)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority Of India
प्रधान कार्यालय, बुंदगान रोड, नई दिल्ली-110037
Operational Offices, Gurgaon Road, New Delhi - 110037

Applicant Name :	Saya Zion. Plot. No- GC- 6/II, Gaur city Plot. no- GH-01, Sec- 04, Greater Noida
Site Address :	
Site Coordinates :	77 25 23.0-28 36 34.0, 77 25 25.0-28 36 36.0, 77 25 26.0-28 36 31.0, 77 25 28.0-28 36 33.0,
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant:	204 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level(AMSL)	290M

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

- The site-elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation for the proposed structure. If, however, at any stage it is established that the actual data is different from the one provided by the applicant, this NOC will become invalid and action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994 may be initiated by the concerned Airport Operator
- The Structure height shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation - Site Elevation.
- The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.
- No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 290M, as indicated in para 2.
- The use of oil fired or electric fired furnace is mandatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.

For Saya Building Corporation Pvt. Ltd.

Page 1/2  Authorised Signatory

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)

Faculty of Engineering and Technology

Maulana Mohamed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
Tel.: 26985227, 26981717 Ext. 2310, 2312, 2313, Tele Fax : 26981261



Department of Civil Engineering

Reference No. 2016/1437

dated: 06.03.2016

SUBJECT Proof checking of Revised Submission 'Blocks - (MENTION BELOW), of Group Housing Project "SAYA ZION" at G.C-6/II, Gaur City, Plot No- GH-01, Sector-4, Greater Noida U.P. of M/s *Saya Buildcon Consortium Private Limited*.

This is to certify that Revised Submission 'Blocks - (MENTION BELOW), of Group Housing Project "SAYA ZION" at G.C-6/II, Gaur City, Plot No- GH-01, Sector-4, Greater Noida U.P. as per the following details :-


S.Nos.	Blocks	Total Floor	Ground Coverage (Sq. Mt.)	FAR (in Sq. Mt.) For Structural Planning
1	BLOCK- A	2 Basement+Stilt+21 Floors	405.576	7523.446
2	BLOCK-B	2 Basement+ Stilt +22Floors	405.229	7856.722
3	BLOCK-C	2 Basement+ Stilt +22Floors	405.229	7856.722
4	BLOCK-D	2 Basement+ Stilt +22Floors	405.038	7850.559
5	BLOCK-E	2 Basement+ Stilt +20 Floors	531.628	9752.924
6	BLOCK-F	2 Basement+ Stilt +20 Floors	397.076	6804.479
7	BLOCK-G	2 Basement+ Stilt +22 Floors	393.53	7586.978
8	BLOCK-H	2 Basement+ Stilt +22 Floors	534.896	10662.189
9	BLOCK-I	2 Basement+ Stilt +20 Floors	533.344	9661.035
10	COMMERCIAL	Ground + 1 Floors	424.473	769
11	Other Area(community)	Ground+1 st Floor	314.052	700

The above Group Housing Project "SAYA ZION" at G.C-6/II Gaur City, Plot No- GH-01, Sector-4, Greater Noida U.P. is having with 9 Blocks, Commercial and Community with Total Permissible Floor Area of 76980.504 Sq.Mt. with Basement Area 34356.993 Sq.Mt, have been checked and found to be conforming to relevant Codes of practice as per the latest Indian Standards. All the stipulated combination of loads (static and dynamic) in vertical and lateral direction has been incorporated in the analysis and design. Above mention building have been checked and the provision in building are as per relevant IS Codes for structural stability and earthquake resistance. Hence they are approved.


Dr. Khalid Moin
(Professor)

Dr. KHALID MOIN
Professor
Dept. of Civil Engineering
F/O Engineering & Technology
Jamia Millia Islamia
New Delhi-110025

For Saya Buildcon Consortium Pvt. Ltd.


Authorized Signatory